भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1397

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

भारत में न्यायालयों के लिए नई न्यायपीठों की स्थापना

1397 डा. सस्मित पात्रा:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत में न्यायालयों के लिए स्थापित की गई नई न्यायपीठों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई न्यायपीठों की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास लंबित है; और

(ग) भारत में किसी न्यायालय के लिए एक नई न्यायपीठ स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : विगत पांच वर्षों के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्याय पीठ 07.02.2019 से जलपाईगुडी में स्थापित की गई है ।

उच्च न्यायालय की खंडपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार से जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं, पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ (खंडपीठों) की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

****